DN - 13894. Val No - 186/15. P - 01/10

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

P 117838

145 70 - 1001 - 28.5.16

संतोष कुमार सिंह पिता बैकुण्ठ सिंह

सा० मंजुराही थाना व जिला औरंगाबाद

BASANT NARAYAN SINHA
Stamp Vendor L No 1/84 Aurangabad

40
30
72
66
208/-

सच्ची प्रतिलिपि

वास्ते जिला निबन्धक

औरंगाबाद

2-6-016

SECRETARY
Raj Muni Devi B.Ed. College
Manjurahi (Aurangabad)

Serial No. 14178 Circle:-:Aurangabad Book No. :- 1 Deed No. 13994
Rural
1

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

T 014817

BASANT NARAYAN SINHA
Stamp Vendor L.No 184 Aurangabad

बिहार सरकार
जिला निबंधन कार्यालय, औरंगाबाद

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक 02/11/2015 को Rajmuni Davi B.Ed.College(Secy Santosh Kumar Singh) द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रु0 202500 स्टाम्प शुल्क एवं रु0 68800 निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने इसे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पृष्ठ अंकित है । इसे दस्तावेज सं0 13994 के रूप में पुस्तक सं0 1 की जिल्द सं0 186 के पृष्ठ सं0 1 से 10 तक CD 29 में आज निबंधित एवं कुल 10 पृष्ठों में संधारित किया गया ।

अशोक कुमार ठाकुर
जिला निबंधन पदाधिकारी

दिनांक 02/11/2015

लेख्यकारी (विक्रेता) का नाम एवं पता:-

श्री बैकुण्ठ सिंह पिता स्व0 रामबरण सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम– मजुराही, डाकघर– मंजुराही, थाना– औरंगाबाद मुफसील, जिला– औरंगाबाद (बिहार) जीविका खेती। नागरिकता भारतीय है।

SECRETARY
Raj Muni Davi B.Ed. College
Manjurahi (Aurangabad)

District Registry Office,Aurangabad

Token Number 14374 | Reg. Year 2015 | Serial Number | Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant Sig. 2-11-15	Rajmuni Devi B.Ed.College(Secy Santosh Kumar Singh)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Presented By Sig. 2-11-15	Rajmuni Devi B.Ed.College(Secy Santosh Kumar Singh)		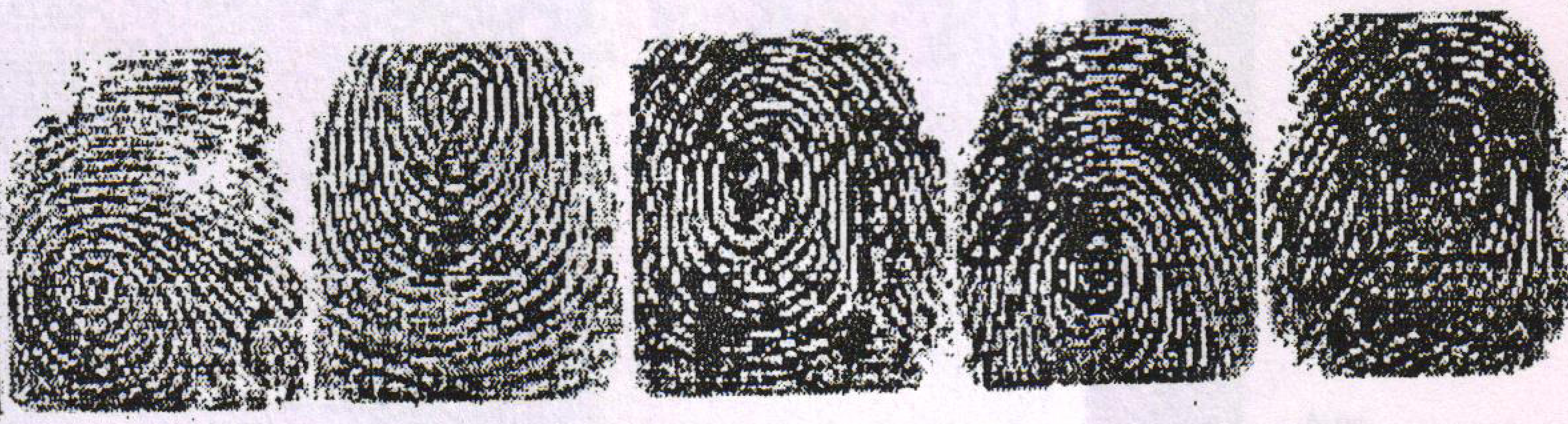				
Executant Sig. 2/11/15	Baikuntha Singh						
Identified By Sig. 2/11/15	Pradeep Kumar						

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

28089 - 1000 - 30.10.015

T 014818

बिहार BIHAR

BASANT NARAYAN SINH
Stamp Vendor L.No 1/84 Aurangabad

2. लेख्यधारी (क्रेता) का नाम एवं पता :– "राजमुनी देवी बी० एड० कॉलेज" ग्राम– मंजुराही, डाकघर– मंजुराही, थाना औरंगाबाद मुफसील, जिला– औरंगाबाद (बिहार) द्वारा (बहैसियत राजमुनी देवी चैरीटेबुल ट्रस्ट) सचिव– श्री संतोष कुमार सिंह पिता श्री बैकुण्ठ सिंह निवासी ग्राम– मंजुराही, डाकघर– मंजुराही, थाना– औरंगाबाद मुफसील, जिला– औरंगाबाद (बिहार) जीविका, खेती भारतीय। आयकर स्थायी लेखा संख्या– **AACTR5739B**

3. लेख्य प्रकार :– निर्विवाद विक्रय –पत्र (केवाला बै) **(Absolute Sale-deed)**

4. लेख्य सम्पति का क्रय–विक्रय मूल्य : रूपये 33,75,000 (तेंतीस लाख पचहतर हजार) मात्र।

SECRETARY
Raj Muni Devi B.Ed. College
Manjurahi (Aurangabad)

2-6-016

3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

बिहार

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

28090- 1000- 30.10.015

T 014819

बिहार BIHAR

बिक्रय सम्पति का पूर्ण विवरण:– कुल रकवा 100 डी0 (एक सौ डी0) भूमि रैयती नगदी वार्षिक राजस्वकर रूपये 07 रू0 50 पैसा मात्र अन्यकर अतिरिक्त मौजा– मंजुरही, थाना नं0 265, थाना– औरंगाबाद मुफसील, अंचल एवं जिला– औरंगाबाद। निबंधन कार्यालय समाहर्ता तथा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद। भूमि व्यवसायिक श्रेणी की परती है, बिक्री वाली भूखण्ड का नजरी नक्सा बिक्रय पत्र के साथ संलग्न है जो बिक्रय–पत्र का अभिन्न अंश है। लेख्यधारी बहैसियत सचिव के बी0 एड0 कॉलेज की स्थापना एवं निर्माण हेतु क्रय कर रहे हैं।

खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
18 (अठारह)	998 (नौ सौ अंठानवे)	100डिसमल (एक सौ डी0) भूमि बिक्री हुआ।
18 (अठारह)	999 (नौ सौ निनानवे)	

चौहद्दी :

उत्तर– निज बिक्रेता।

दक्षिण– N.H.- 2 Road

पूरब– उमेश सिंह।

पश्चिम– पिन्ड।

SECRETARY
Raj Muni Devi B.Ed. College
Manjurahi (Aurangabad)

2-6-16

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

28091 - 1000 - 30.10.015

T 014820

बिहार BIHAR

BASANT NARAYAN SINHA
Stamp Vendor L No 1/84 Aurangabad

लेख्य संदर्भ

यह कि बिक्री वाली भूमि जो उपर खाना (5) में वर्णित है लेख्यकारी, को पैतृक है जो आपस में विभाजित होकर खास हक व हिस्सा में मिला है जिसपर पूर्ण अधिकार कब्जा दखल तथा स्वामित्व है। इसमें किसी का अंश या भाग नही है। डिमाण्ड लेख्यकारी के नाम पर चल रहा है, डिमाण्ड न0 87/1 वर्ष 2015–16 का रसीद 15.06.2015 को कटा है, रसीद सं0 X/102-00703392 है।

यह कि लेख्यकारी को अन्यान्य आवश्यक पारीवारिक व निजी कार्यों के लिए तथा अपनी पसन्द की भू–खण्ड खरीदने के लिए रुपये की नितान्त आवश्यकता है, एतदर्थ दूसरा कोई विकल्प नहीं रहने के कारण अपने परिवार के अन्य कनीय तथा वरीय सदस्यों के हित–लाभ में इस विलेख की सम्पति का विवरण खाना 5 में वर्णित सम्पति को अपने परिवार के सहमति से विक्रय करने की घोषणा कर प्रचार किया एवं करवाये। जिस पर अन्य ग्राहको के साथ लेख्यधारी बहैसियत सचिव से भी बातें हुई लेकिन इस विलेख के लेख्यधारी बहैसियत सचिव के बराबर अथवा इससे अधिक मूल्य देने के लिए अन्य कोइ दूसरा ग्राहक तैयार नहीं हुए। फलत: बिना किसी लोभ प्रलोभन दबाव

SECRETARY
Raj Muni Devi B.Ed. College
Manjurahi (Aurangabad)

9.6.16

धमकाव के तथा पूर्ण मानसिक संतुलन की स्थिति में रूपये 33,75,000/में अपनी लाभ–हानि को भली–भाँति समझ बुझकर लेख्यधारी बहैसियत सचिव के साथ विक्रय की बातचीत पक्का किया है जो प्रचलित बाजार मूल्य के समतुल्य है। उपरोक्त सम्पति किसी भी प्रकार के विघ्न प्रतिबन्ध ऋण–भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं स्वतंत्र है तथा लेख्यकारी इसे लेख्यधारी बहैसियत सचिव को बेचने एवं हस्तान्तरित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं।

यह कि लेख्यकारी को प्रतिफल के रूप में रूपये 33,75,000/ प्राप्त होना निश्चित हुआ है। लेख्यकारी, लेख्यधारी बहैसियत सचिव से उक्त प्रतिफल की कुल धनराशि 33,75,000/ रूपये वसुल पा गये हैं, अब एक पैसा भी लेख्यकारी का लेख्यधारी बहैसियत सचिव के जिम्मे बाकी नही रहा, विक्रय–पत्र पूर्णतया निस्पादित तिथि से ही लागू एवं व्यवहृत होगा।

यह विक्रय विलेख साक्ष्य है कि:–
उक्त वर्णित ढग से प्रतिफल की धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात लेख्यकारी लेख्यधारी बहैसियत सचिव को सम्पति का विवरण कंडिका 5 में अंकित भू–खण्ड हमेशा के लिए मूल्य के बदले विक्रय एवं हस्तांतरित करते हैं। इस सम्पति से संबधित सभी सुखाधिकार तथा धन प्राप्ति के अधिकार या अन्य वे सभी अधिकार जो लेख्यकारी को प्राप्त थे, लेख्यधारी बहैसियत सचिव को प्राप्त हो गए हैं।

यह कि लेख्यकारी उक्त सम्पति कंडिका 5 में वर्णित भूमि को धारण एवं भोग करने का अधिकारों का त्याग कर लेख्यधारी बहैसियत सचिव के पक्ष में प्रदान करते हुए सम्पति लेख्यधारी बहैसियत सचिव को सौप दी है तथा कब्जा प्रदान कर दिया है, लेख्यधारी बहैसियत सचिव अब इस सम्पति को बिना किसी प्रतिबंध विघ्न भार एवं बाधा रहित सम्पति का पूर्ण उपभोग स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार कर सकेगें एवं लेख्यधारी बहैसियत सचिव के सरकारी महकमों में जब–जब, जहाँ जहाँ आवश्यक समझें नाम दर्ज करा लेगें।

यह कि यदि कोइ व्यक्ति लेख्यकारी के माध्यम से संबधित सम्पति के विषय मे किसी प्रकार के अधिकार, उन्मुक्तिया विशेषाधिकार का दावा करता है तो वह दावा इस विक्रय विलेख के आधार पर अवैधानिक व शुन्य होगा।

SECRETARY
Rajkumari Devi B.Ed. College
Manjurahi (Aurangabad)

D. S. R
2.6.16

यह कि विक्रय विलेख में किसी प्रकार का त्रुटि होने के कारण–लेख्यधारी बहैसियत सचिव को सम्बंधित सम्पति उसके कुछ भाग सम्पूर्ण सम्पति के अधिकारो से वंचित होना पड़ता है तो लेख्यकारी, लेख्यधारी बहैसियत सचिव को इस सीमा तक हानि या हानियो, को वास्तविक रूप में होगी, की क्षतिपूर्ति अपनी तत्कालीन अन्य अस्तित्व मे रहने वाली चल या अचल या दोनों सम्पतियों के द्वारा भुगतान करने का उतरदायी होगा।

यह कि लेख्यकारी इस सम्पति को लेख्यधारी बहैसियत सचिव द्वारा धारण या उपभोग करने के संबध में भविष्य मे समय–समय पर किए जाने वाले आवश्यक कार्यो का दायित्व लेख्यधारी बहैसियत सचिव को हस्तान्तरित करते हैं।

यह कि यदि विक्रय विलेख के पंजीकरण के पश्चात किसी प्रकार का शुल्क, टैक्स, लगान, किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के माँगे जाते हैं तब लेख्यधारी बहैसियत सचिव उक्त राशि को स्वयं लेख्यकारी अथवा उसकी सम्पति से या उनके उतराधिकारियों से वसुल लेंगें।

यह कि विक्रय की जाने वाली भूमि सम्पति पर इस विक्रय विलेख के लिए देय समस्त स्टाम्प (मुद्रांक) शुल्क, निबंधन शुल्क इत्यादि का वहन लेख्यधारी बहैसियत सचिव द्वारा किया गया है।

यह कि लेख्य सम्पति किसी भी प्रकार से न तो विवादित और न सरकार द्वारा अर्जित ही है यह पूर्ण रूपेण निर्विवाद है।

यह कि किसी कारण यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी, न्यायालय, फोरम अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शुन्य घोषित कर दिया जाता है तब लेख्यधारी बहैसियत सचिव के लेख्यकारी से प्रतिफल की राशि सहित बैंक दर पर चक्रविद्ध ब्याज तथा अन्य प्रकार की क्षतियों की राशि वसुल पाने का अधिकारी होगा।

यह कि इस विक्रय विलेख में पूर्व उल्लिखित लेख्यकारी एवं लेख्यधारी बहैसियत सचिव शब्द का वर्तमान तथा सदैव भविष्य मे अर्थ जब तक कि वे प्रासंगिक रूप से विरोधी न हो लेख्यकारी तथा लेख्यधारी बहैसियत सचिव ही होगा एवं उनमें उसके प्रतिनिधि, उतराधिकारी, उतराजीवी विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित व्यक्ति भी सम्मलित होगें। साक्षियों के उपस्थिति में मैं नामांकित लेख्यकारी विक्रय विलेख के समस्त विवरणो एवं

SECRETARY
Raj Muni Devi B.Ed. College
Manjurahi (Aurangabad)

9.6.16

धाराओं के प्रति विलेख में आज दिनाकं को अपने हस्ताक्षर बायें हाथ के पांचो अंगुलियों का निशान बनाता हूँ।

यह कि इस विक्रय विलेख वाली भूमि कसरेहिन्द, भूदान, मूहदबंदी, लालकार्ड, न्यासबोर्ड, वक्फबोर्ड, सरकारी प्रतिबंधित या अधिग्रहित भूमि नहीं है।

यह कि यह निर्विवाद विक्रय–विलेख लेख्यकारी एवं लेख्यधारी बहैसियत सचिव के कथनानुसार लिख दिया की प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

इति।

विलेख की तिथि :– 02.11.2015 ई0।

प्रारूपकर्ता
राधेश्याम सिन्हा
(दस्तावेज लेखक), औरंगाबाद
ला नं0 108/02

SECRETARY
Raj Muni Devi B.Ed. College
Manjurahi (Aurangabad)

नजरी नक्शा, बिक्री वाली भूमि लाल रंग से दर्शाया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि बिक्री वाली भूखण्ड के 200 मिटर त्रिज्या में स्थित सभी भूखण्डों को दर्शाया गया है तथा इसके मार्ग में पड़ने वाले सभी प्रमुख स्थानों को दर्शाया गया है। गलत पाये जाने पर क्रेता, बिक्रेता जिम्मेवार होंगे।

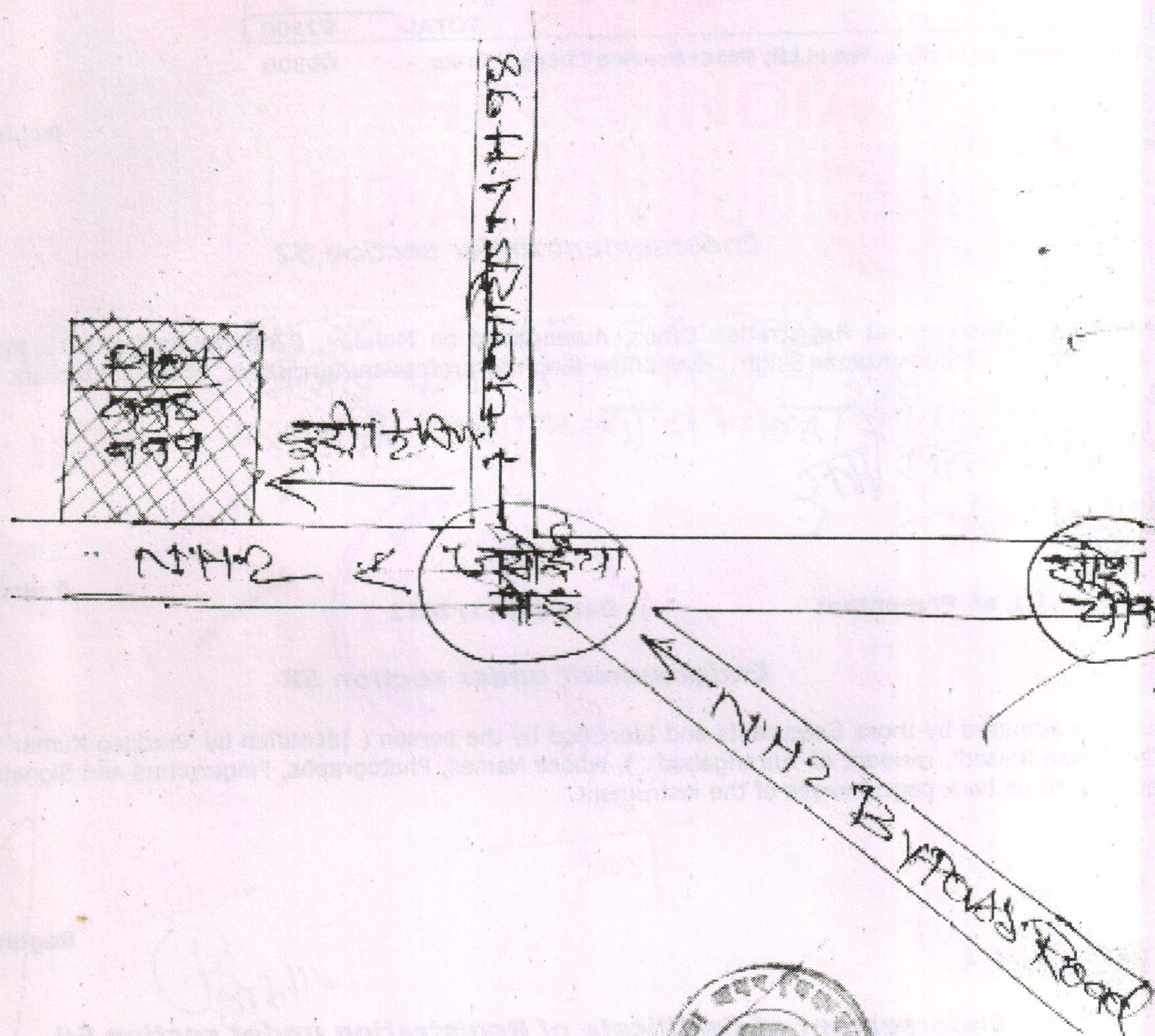

विक्रेता 2/11/15

क्रेता 2-11-15

SECRETARY
Raj Muni Devi B.Ed. College
Manjurahi (Aurangabad)

9.6.16

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '23'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	**Rs. 202500/-**	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	**Rs.**	**4000/-**
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	**Rs. 0/-**	Amt.paid through Bank Challan	**Rs.**	**266800/-**

Registration Fee

FEE PAID										
A1	**67500**	C	**0**	H1b	**0**	K1a	**0**	Lii	**0**
A8	**0**	D	**0**	H2	**0**	K1b	**0**	Liii	**0**
A9	**0**	DD	**0**	I	**0**	K1c	**0**	Mb	**0**
A10	**0**	E	**0**	J1	**0**	K2	**0**	Na	**0**
B	**0**	H1a	**0**	J2	**0**	Li	**0**		
								TOTAL-	**67500**

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	**500**	**250**
Proc.Fee	**50**	
Total	**550**	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 68300

Date: 02/11/2015

Registering Officer
Aurangabad

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Aurangabad on Monday, 02nd November 2015 by Rajmuni Devi B.Ed.College(Secy Santosh Kumar Singh) Baikuntha Singh by profession Agriculture. Status - Claimant

संतोष कुमार सिंह
2-11-15

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:02/11/2015

Registering Officer
Aurangabad

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Pradeep Kumar' age '42' Sex 'M', 'Lalan Prasad', resident of 'Aurangabad'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 02/11/2015

Registering Officer
Aurangabad

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Aurangabad in Book 1 Volume No. 186 on pages on 1 -10 , for the year 2015 and stored in CD volume No. CD-29 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 02/11/2015

Registering Officer
Aurangabad

Token No. : 14374 Year : 2015 S.No. : 14178 SCORE Ver.3.0 Deed No . : 13994